Observation Regarding Bills to be Discussed

माननीय अध्यक्ष: आज की कार्यसूची में दो महत्वपूर्ण विधेयक हैं, जिनकी जानकारी आप सबको है। मैंने कल भी आप सबके समक्ष एक मंशा व्यक्त की थी कि हमें देर तक बैठकर कई विधेयकों पर चर्चा करनी पड़ेगी । कई महत्वपूर्ण विषय, जो आप सबने समय-समय पर उठाए हैं, उन पर भी हम बैठकर आपस में चर्चा करेंगे । आइटम नंबर - 27 एक महत्वपूर्ण विधेयक है ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री के. सी. वेणुगोपाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

(व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Hon. Speaker, Sir, already there are two Bills as Item Nos. 27 and 28 for consideration and passing.

Sir, I think, you are aware that in the Business Advisory Committee, the entire Opposition demanded that these Bills should be referred to the Standing Committee or the JPC. Both the Bills are very important. One is relating to the nuclear energy, which is going to have a far-reaching impact on the country. The second one is the Bill on MGNREGA which is going to affect crores of common workers of this country. In both the things, the entire Opposition has demanded that these two Bills be sent to the Standing Committee or JPC. This was our demand. The hon. Minister and some Members from the Government side told that time of around three hours should be allotted. We, the entire Opposition, are not in a position to allow the time. We are demanding for sending the Bills to the Standing Committee or the JPC. At that time, the hon. Minister told that we are not deciding the time now. We will come back. We did not get any information from the hon. Minister. Now, there are things in the air that the two Bills are being passed by today itself.

Sir, you are not sending the Bills to the Standing Committee and you are not sending them to the JPC. As these are the most important Bills, you are trying to limit the discussion also. All the Members of the Parliament want a detailed discussion.

Therefore, I think, minimum six hours should be allotted for Nuclear Energy Bill and minimum eight hours should be allotted for Rozgar Bill.

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्यगण, मुझे सभी दलों के माननीय सदस्य मिले थे और कल उन्होंने मुझे आग्रह किया था कि आइटम नंबर 27 - भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक, 2025, को आज न लाया जाए, बल्कि आज की तारीख में लाने का आग्रह किया था । मैंने आप सब की भावनाओं को देखते हुए उसको कल न लाकर, हम उसको आज लाए हैं ।

जो रोजगार वाला नया बिल है, वह कल इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस पर भी मैंने डिटेल में चर्चा करवा दी थी और सभी दलों को मौका दिया था । मुझे लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस का निपटान करें । हम देर रात्रि तक बैठें और चर्चा करें । सबका मत आए । 4 घंटे हों, 2 घंटे हों या 6 घंटे हों, जो भी समय होगा, सबको समय देंगे । मैं सबको मौका दूंगा । हम देर रात्रि तक बैठें, जिससे देश की जनता को लगना चाहिए कि माननीय सांसद बहुत गंभीरता से कई मुद्दों पर देर रात्रि तक बैठकर चर्चा करते हैं । इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री**;** तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री **(**श्री किरेन रिजिजू**):** सर, के.सी. वेणुगोपाल जी ने सही कहा है । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उन्होंने इसे कमेटी में भेजने की रिक्वेस्ट की थी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अन्य मेंबर्स ने भी यही कहा था । इसके साथ उन्होंने दूसरी मांग रखी थी कि एक और पब्लिक इंपॉर्टेंस के विषय पर चर्चा होनी चाहिए, स्पेशल डिस्कशन होना चाहिए, जिसे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी ने उठाया था । हमने उस समय भी कहा था कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है । हमारे पास समय सीमित है । 19 दिसंबर को यह शीतकालीन सत्र समाप्त हो जाएगा । इस सीमित समय में आप हाउस में जितनी लंबी चर्चा करने के लिए कहेंगे, तो हम सेंस ऑफ द हाउस लेकर और माननीय स्पीकर साहब के कहने पर देर रात्रि तक बैठकर बिजनेस पारित करने के लिए तैयार हैं ।

सदन जितना पर्याप्त समय मेंबर्स को बोलने के लिए मौका देगा, उतना अच्छा है और स्पीकर साहब समय देते भी हैं । हमें कोई आपत्ति नहीं है । मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमने कल यह बिजनेस लिस्ट किया था और माननीय सदस्यों की रिक्वेस्ट पर स्पीकर साहब ने एटॉमिक एनर्जी वाले शांति बिल को आज के लिए पोस्टपोन किया था । आप लोगों ने इंश्योरेंस बिल में साथ दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं । आज इन दोनों विधेयकों पर देर रात्रि तक चर्चा करनी पड़े तो दोनों को पारित करने के लिए सरकार तैयार है ।

आपने जो विशेष चर्चा की मांग की है और नेता प्रतिपक्ष सहित आप सब ने जो मांग की है, उसके लिए जैसा स्पीकर साहब निर्देश देंगे, सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष **:** आइटम नं. 27 - भारत के रूपांतरण के नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक, 2025 ।

माननीय मंत्री महोदय ।

(व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, we want to know how much time will be allotted. (*Interruptions*)

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): How much time, Sir. (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** आपको चार घण्टे दे देंगे ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैं आपको और समय दे दूंगा ।

(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTERS OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Speaker Sir (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय मंत्री जी, एक मिनट ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप सभी बैठिए । सदन में हमेशा जितना विधेयक पर समय आवंटन हुआ है, यह रिकॉर्ड है कि उससे ज्यादा समय हमेशा मैंने दिया है । आप समय की चिंता मत कीजिए । जितना समय होगा, आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा । हर विधेयक पर समय की कोई कमी नहीं रहेगी । सबके मत और सबके विचार आने चाहिए, तब ही हमारा लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होगा ।

12.19 hrs